

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोगनीपुर , कानपुर देहात ।

परिवाद मु०सं० 1333/2022

दुर्गा देवी

बनाम रोहित ।

धारा 138 एन०आई०एक्ट

थाना राजपुर, कानपुर-देहात ।

21-01-2025

पत्रावली पेश हुई । पुकार करायी गयी । परिवादिनी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आयी । परिवादिनी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उक्त परिवाद में विपक्षी से उसका समझौता हो गया है तथा परिवादिनी ने अपने बयान में कथन किया है कि प्रस्तुत परिवाद में चेक अनादरित होने का मुकदमा दाखिल किया था । जिसकी सम्पूर्ण धनराशि विपक्षी से उसे प्राप्त हो गयी है । अब कुछ भी लेना शेष नहीं है । वह मुकदमा नहीं चलाना चाहती है । मुकदमा समाप्त किये जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

प्रस्तुत प्रकरण में परिवादिनी मुकदमा स्वयं उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि विपक्षी ने समस्त धनराशि परिवादिनी को अदा कर दी है। अब कोई लेना देना शेष नहीं है । वह मुकदमा चलाना नहीं चाहती है । मुकदमा समाप्त किये जाने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त वाद निस्तारित किये जाने योग्य है । तदनुसार उक्त वाद निस्तारित किया जाता है । पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो ।

दिनांक 21-01-2025

(सुनील गुप्ता)

न्यायिक मजिस्ट्रेट,

भोगनीपुर, कानपुर-देहात ।

I.D.No-UP3805